न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर, म०प्र०, सर्किट कोर्ट रीवा [म०प्र०]
निगरानी 1003-III-15

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

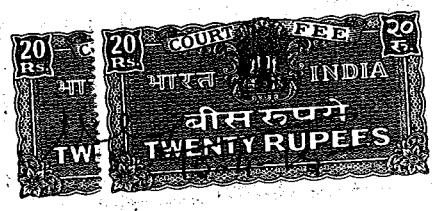

1- रामकरण पिता रामचरण उपाध्याय

निवासी ग्राम पड़ोखर, तहसील हुजूर, जिला रीवा, म०प्र०,

:------ निगरानीकर्तागण

बनाम

हरिहर प्रसाद तिवारी तनय रामविशाल तिवारी निवासी ग्राम पड़ोखर,

तहसील हुजूर, जिला रीवा, म०प्र० - :------ गैरनिगरानीकार

क्रमांक 5740
रजिस्टर्ड ... आज
दिनांक ... प्राप्त
23-5-15
राजस्व ... ग्वालियर

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू राजस्व संहिता विरुद्ध अपर आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा म०प्र० के प्रकरण क्र० 41/अपील/12-13, आदेश दिनांक 27.3.2015, के विरुद्ध ।

==

मान्यवर,

संक्षिप्त विवरण निम्न है:-

यह कि भूमि खसरा नं० 664 निगराकारगण के पारिवारिक श्मशान की भूमि [बगीचा] है, जिसमे आम के 3 पेड़ आज भी जीवित है, एवं भूमिखसरा क्रमांक 666 आबादी से लगी हुई, आबादी निस्तार की भूमि है, जिन्हे गैरनिगराकार ने निगराकारगण को बिना सूचना दिये फर्जी टीप का हवाला देकर राजस्व निरीक्षक गोविन्दगढ़ से दिनांक 28.1.77 को नामांतरण अपने नाम स्वीकृत करा लिया, जिसकी निगराकारगण को कोई जानकारी नही दी गई, यहां तक कि निगराकार क्र० 2 के प्रश्नाधीन नामांतरण पंजी मे हस्ताक्षर तक नही बने है, साथ ही निगराकार क्र० 1 के फर्जी हस्ताक्षर बनाये गये है, यह महत्वपूर्ण बिन्दु है, जिसके तारतम्य मे गैरनिगराकार को उक्त भूमियों से

क्रमशः =

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1008–तीन/2015 **जिला–रीवा**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4–9–2015	प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषक उपस्थित । तर्क श्रवण किए गये । आवेदक अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में बताया गया कि आवेदक द्वारा अभिभाषक के माध्यम से धारा 45 साक्ष्य अधिनियम एवं धारा 32 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता के तहत दिनांक–2.3.15 एवं 11.3.13 को आवेदन पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिसे बिना पर्याप्त कारण के निरस्त कर दिया गया । यह भी बताया गया कि नामांतरण पंजी में आवेदक के फर्जी हस्ताक्षर बनाए गये हैं जिनकी जांच हस्तलिपि विशेषज्ञ से जांच कराये बिना पारदर्शी निर्णय नहीं लिया जा सकता है । इसके अतिरिक्त उनके द्वारा वही तर्क प्रस्तुत किए जो निगरानी मेमों मे अंकित है तथा जो अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किए गये थे, जिन्हें यहां पुनरांकित किए जाने की आवश्यकता नहीं है क्योकि उनका उल्लेख अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिका में भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उल्लेखित किया गया है । अनावेदक अभिभाषक द्वारा भी वहीं तर्क प्रस्तुत किए जो उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गये थे जिन्हें भी यहां दुहराया नहीं जा रहा है किन्तु विचार में लिया गया है । उभयपक्ष अभिभाषकों की ओर से प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख अवलोकन किया गया जिससे यह स्पष्ट हो रहा है कि उभयपक्ष के मध्य मुख्य विवाद नामांतरण से संबंध्ति है जिसका निराकरण अधीनस्थ न्यायालय में अभी लंबित होकर प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश दिनांक–27.3.15 से हस्तलिपि विशेषज्ञ से जांच कराये जाने की मांग को यह लिखते हुए निरस्त किया गया है कि "इस न्यायालय को प्रथम अपीलीय न्यायालय के आदेश की बैधता का परीक्षण करना है नये सिरे से प्रथक से कोई जांच हस्ताक्षर	

विशेषज्ञ से कराना विधि सम्मत नहीं होगा" । इस आदेश के साथ आवेदक का हस्ताक्षर विशेषज्ञ से जांच कराये जाने संबंधी आवेदन निरस्त करते हुए प्रचलित प्रकरण में अंतिम तर्क के समय उभय पक्ष को अपना–अपना तर्क रखने का अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत किया गया है जिसमें उभयपक्ष को अपनी–अपनी बात रखने का अपर आयुक्त न्यायालय में पर्याप्त अवसर प्राप्त है । अपर आयुक्त के आदेश दिनांक–27.3.15 से किसी भी पक्ष के हित वर्तमान में किसी भी प्रकार से प्रभावित होना परिलक्षित नहीं हो रहा है । उपरोक्त परिस्थितियों में अपर आयुक्त के आदेश दिनांक–27.3.15 में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । उभयपक्ष अपना–अपना पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रखें जहां अंतिम तर्क के समय अवसर उलब्ध है । यह निगरानी प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है ।

आशीष श्रीवास्तव

सदस्य